

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 01/2015

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1 लक्ष्मणसिंह		1 सरपंच ग्राम पंचायत रूपावास,
2 रूपसिंह		तहसील सोजत
3 सोहनसिंह पि0 बिहारीलालसिंह राजपुरोहित निवासीगण रूपावास तहसील सोजत जिला पाली		2 देवीसिंह पुत्र चन्द्रभानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रूपावास तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :-

1. श्री पी0एम0 जोशी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

-: निर्णय :-

दिनांक : 14/2/2018

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रूपावास द्वारा मिसल संख्या 02/2014-15, संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.08.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 61 दिनांक 01.10.2014 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता दोनो भाई है तथा प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पत्ति की भूमि है, जो प्रार्थीगण के हिस्से में आई है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत से अवैध रूप से पट्टा जारी करवा लिया। इस समबन्ध में सिविल न्यायालय में वाद पेश किया, जिसमें न्यायालय द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गई। कमिश्नर रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 1 का 89 फीट लम्बाई तथा 46 फीट चौड़ाई की भूमि पर ही कब्जा माना है तथा शेष पर प्रार्थीगण का कब्जा साबित हुआ है एवं इसी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के हक हिस्से में भूमि आई हुई स्थित है, जिसका वर्णन निगरानी के संलग्न अनुसूची में दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें क्षेत्रफल भी अंकित नहीं किया। प्रार्थना पत्र पंचायत के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया, इसका भी अंकन नहीं है। इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें भी क्षेत्रफल अंकित नहीं किया तथा यह भी अंकित नहीं है कि उक्त भूमि किस खसरा नम्बर में स्थित है तथा कितने वर्षों से कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है एवं उसमें तथ्यों को छुपाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा किन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया, इसका अंकन नहीं है। इसके पश्चात वार्ड पंचों द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें भी भूमि का क्षेत्रफल अंकित नहीं है। सभी आदेशिकाएँ एवं कार्यवाही एक ही व्यक्ति द्वारा एक दिन में ही तैयार की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण



पति. विद्या कलक्टर, पाली

कार्यवाही विधि विरुद्ध तरीके से की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना किये बगैर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो गैर कानूनी है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 (राज.) 1995 पेज 458, आर0एल0आर0 1996 (1) पेज 27, डी0एन0जे0 (राज.) 2003 (1) पेज 449, डी0एन0जे0 (राज.) 2005 (2) पेज 963, डी0एन0जे0 (राज.) 2016 (3) पेज 1202, डी0एन0जे0 (राज.) 2017 (2) पेज 668, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1265, डी0एन0जे0 (राज.) 1995 पेज 415 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी के पिता बिहारीलाल के सभी भाईयों का हक हिस्सा निहित है। बिहारीलाल सहित तीन भाई हैं, जो बिहारीलाल, मगसिंह एवं पाबूदान हैं। प्रार्थीगण द्वारा यह अंकित नहीं किया कि पाबूदान एवं मगसिंह का उक्त भूमि में कितना हिस्सा निहित है। प्रार्थी द्वारा यह कथन अंकित किये हैं कि वे पैतृक भूमि में रह रहे हैं एवं दूसरी तरफ यह बता रहे हैं कि मौके पर भूखण्ड है। सिविल न्यायालय में जो वाद विचाराधीन है, उसमें अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में स्थगन है। प्रक्रियागत तकनीकी त्रुटी हो अथवा तकनीकी कमियों के आधार पर पट्टा खारिज किया जाना न्याय संगत नहीं है। जहां तक प्रार्थीगण का यह कथन कि उक्त भूमि की नीलामी की जानी चाहिये थी, जबकि दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उक्त भूमि पुश्तनी है। जब भूमि का ऑनर स्वीकार कर रहे हैं एवं मेरा कब्जा है, तो नीलामी हो ही नहीं सकती, ऐसे प्रकरण में आपसी बातचीत के आधार पर ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। लिहाजा निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का आधा आधा हिस्सा आता है। सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि सिविल न्यायालय में पृथक से वाद विचाराधीन है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा नियमों में विहित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए जारी किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, रूपावास द्वारा मिसल संख्या 02/2014-15, संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.08.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 61 दिनांक 01.10.2014 के विरुद्ध पेश की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 देवीसिंह द्वारा रहवासी मकान/प्लॉट का पट्टा स्वयं के नाम जारी करवाने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत को सम्बोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र पर न तो कोई दिनांक अंकित है तथा प्रार्थना पत्र पर सरपंच अथवा ग्राम सेवक द्वारा टिप्पणी अंकित नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में वांछित भूमि के पडौस अंकित किये गये हैं, किन्तु किसी प्रकार का क्षेत्रफल अंकित नहीं है, इसके अतिरिक्त यह भी अंकित नहीं किया कि उक्त भूमि पर कितने वर्षों पुराना कब्जा इस प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ पत्र में भी किसी प्रकार का क्षेत्रफल अंकित नहीं है। दिनांक 22.05.2014 की आदेशिका अनुसार



10  
बति. विद्या कलेक्टर, रायचूर

प्रार्थी देवीसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी कब्जासुदा रहवासी गृह स्थल का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मिसल कायम की गई एवं सचिव को नक्शा बनाने एवं तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया जाना अंकित है, किन्तु इस दिनांक को ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या 7 के द्वारा उक्त मिसलों में सचिव को नक्शा तैयार कर मिसल आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिया जाना अंकित है, वार्ड पंचों की कमेटी मनोनीत करने बाबत किसी प्रकार का प्रस्ताव इस दिनांक को पारित नहीं किया गया है, जबकि मिसल की आदेशिका में मौका निरीक्षण के आदेश भी अंकित किये हैं, जो बिना प्रस्ताव के अंकित किया है। इसके पश्चात मिसल दिनांक 20.06.2014 को पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की गई, इस दिनांक को मिसल की आदेशिका अनुसार सचिव द्वारा नक्शा एवं तीन वार्ड पंचों द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अंकित किया तथा एक माह का आपत्ति इशतिहार जारी किये जाने के आदेश पारित किये। इसी अनुरूप प्रविष्टि ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.06.2014 को प्रस्ताव संख्या 3 में अंकित है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत कोरम द्वारा प्रश्नगत भूमि के मौका निरीक्षण हेतु वार्ड पंचों को मनोनीत ही नहीं किया गया तथा बिना समक्ष आदेश के वार्ड पंचों की मौका रिपोर्ट पत्रावली के संलग्न की गई है, जो विधि सम्मत नहीं है। इसके पश्चात दिनांक 20.07.2014 को मिसल बैठक में प्रस्तुत होने पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने कब्जे को साबित करने हेतु दो गवाहों को पंचायत हाजा में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 05.08.2014 को नियम 157 (ख) के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा जो नक्शा तैयार किया गया है, उसमें प्रस्तावित स्थल के पूर्व में बोहरसिंह, भंवरसिंह, सोहनसिंह अंकित किया गया है तथा पूर्वी भुजा का क्षेत्रफल 130 फुट दर्शाया है एवं दक्षिण दिशा में रूपसिंह पुत्र बिहारीसिंह पुरोहित अंकित किया है तथा दक्षिणी भुजा का क्षेत्रफल 52 फुट अंकित किया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो पडौस अंकित किये हैं, उसके अनुसार प्रस्तावित भूमि के पूर्व में दलपतसिंह तथा दक्षिण में सोहनसिंह का वाडा अंकित किया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो भूमि चाही गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई, उन दोनों के पडौस परस्पर मिलान नहीं करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना भूमि का मौका निरीक्षण किये, सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। चूंकि यह पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा उक्त भूमि के मौका निरीक्षण हेतु वार्ड पंचों को मनोनीत ही नहीं किया गया, तो वार्ड पंचों द्वारा किस आदेश के तहत मौका निरीक्षण किया गया ? इससे पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में अपनाई गई प्रक्रिया दूषित पाई जाती है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज.)1995 पेज 458 धनराज व अन्य बनाम अतिरिक्त कलक्टर गंगानगर में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Rajasthan Panchayat and Nyaya Panchayat(General) Rules, 1961- Rules 255 to 265-Procedure prescribed for the sale of abadi land- Procedure not followed in present case-No application invited for purchase, no notice published for sale objections not called & no public auction of the land- violation of rules & art 14 of the constitution- Sale quashed." इसके अतिरिक्त प्रक्रिया की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर.एल.आर 1696(1) पेज 27 महावीर प्रसाद बनाम राजस्थान



पति० पिता कलेक्टर, पाळी

सरकार एस.बी. सिविल रीट पीटिशन नं. 2203 का 1985 निर्णय दिनांक 4 जनवरी 1996 में प्रतिदादित किया कि "(b) Raj panchayat (General) Rules[ 1961 R.272 -sale of abadi land by gram panchayat -procedure prescribed under rules not followed -addl. collector on revision rightly set aside the sale and quashed the patta finding of fact recorded by Addl. Collector not perverse and not to challenge in writ proceedings" प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा आपसी बातचीत से पट्टा जारी किया गया है तथा इसी तथ्य के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच की एकलपीठ द्वारा डी0एन0जे0 (राज.) 2003 (1) पेज 449 जगदीश व अन्य बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट II व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "(A)Rajasthan Panchayati rah Rules, 1996 -Rr. 142 to 157- Rajasthan panchayati raj act, 1994- Secs. 63 &97- Allotment/sale of land by private negotiation-abadi land can not be sold by private negotiation & patta cannot be issued unless condition provided in R. 156 are satisfied-petitioner is in possession of land since more than 15 years- It is no ground for sale of land by private negotion -no compliance of the mandatory rules- Addl. Collector rightly set aside the sale.(Paras 36&38)" इस अनुसार नियम 156 में प्रदत्त शर्तों का समाधान न हो, तब तक आबादी भूमि निजी बातचीत से नहीं बेची जा सकती और पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत को सम्बोधित प्रार्थना पत्र में न तो भूमि पर कितने वर्षों पुराना कब्जा होना अंकित किया तथा न ही किसी प्रकार का क्षेत्रफल अंकित किया है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज.) 2016 (3) पेज 1202 प्रकाशचन्द्र बनाम जिला कलक्टर भीलवाडा व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 धारा 97 राजस्थान पंचायती राज नियम ,1996 नियम- 156-पट्टा निरस्त किया- नीलाम करने के बजाय भूखण्ड आपसी बातचीत से विक्रय किया- इस सम्बन्ध में कारण नहीं दिये - प्रार्थना पत्र में कुछ भी उल्लेख नहीं किया कि याची कब से विवादित भूखण्ड के कब्जे में था और किस आधार पर वह स्वस्व का दावा करता है प्रार्थना पत्र में भूमि की निर्दिष्टियां भी उल्लेखित नहीं की- निरीक्षण कमेटी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट में कब्जा की अवधि उल्लेखित नहीं की- प्रश्नगत भूमि पर दीर्घ कब्जा जाहिर करने हेतु सामग्री नहीं- केवल नोटिस जारी किया और आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई, याची का पुराना कब्जा स्थापित नहीं होता -ग्राम पंचायत ने सन्तुष्टि दर्ज नहीं की कि भूमि के नीलाम से उपयुक्त मूल्य प्राप्त नहीं होगा- ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय सामान्यतया नीलाम द्वारा किया जाना आवश्यक है- निगरानी प्रत्साहत करने के प्रार्थना पत्र में और निगरानी का निर्णय गुणागुण पर करने में अवैधता नहीं है- निर्णित, याचिका गुणावहीन है व खारिज की।" उक्त निर्णय हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है। यह पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के तहत पट्टा जारी करने की प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है तथा वांछित भूमि एवं प्रदत्त भूमि के पडौस में अन्तर है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, रूपावास द्वारा मिसल संख्या 02/2014-15, संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.08.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 61 दिनांक 01.10.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत रूपावास को इन निर्देशों के साथ

शक्ति. विद्या कलेक्टर, पाकी



प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमों के विहित प्रक्रिया अनुसार प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करें।



निर्णय आज दिनांक 14/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीस्थ बिश्नोई)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

(भागीस्थ बिश्नोई)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली